

**अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**  
**GRANT No. 92 - MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	3418,07,00		
			4894,29,00	-503,10,38
पूरक	Supplementary	1476,22,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			503,09,23
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	99,24,00		
			99,25,00	-10,18,24
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,18,15

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹50310.38 लाख) दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹147622.00 लाख के पूरक अनुदान का 34 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹50310.38 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grants of ₹147622.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	22299.00	21774.21	21773.21	-1.00
पु.	R.	-524.79			
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	245315.00	394359.69	394359.57	-0.12
पू.	S.	147621.00			
पु.	R.	1423.69			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	32815.00	..	..	..
पु.	R.	-32815.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	39056.00	22312.87	22312.84	-0.03
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-16744.13			

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	2322.00		
			673.00	673.00
पु.	R.	-1649.00		..

(I) दस शीर्षों के अंतर्गत - ₹33489.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹32815.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "प्रशिक्षण-प्रशिक्षु प्रशिक्षण" के अंतर्गत - निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹33489.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads, of these ₹32815.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Training-Apprenticeship Training" - under the following heads:-

(का) "कौशल इंडिया कार्यक्रम" - ₹22784.00 लाख;

(A) "Skill India Programme" - ₹22784.00 lakhs;

(खा) "ई. ए. पी. - आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (एस. ए. एन. के. ए. एल. पी.)" - ₹4881.00 लाख;

(B) "EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)" - ₹4881.00 lakhs;

(गा) "ई. ए. पी. - औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (एस. टी. आर. आई. वी. ई.)" - ₹3000.00 लाख; और

(C) "EAP - Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)" - ₹3000.00 lakhs; and

(घा) "संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का संवर्धन" - ₹2150.00 लाख।

(D) "Strengthening of Infrastructure for Institutional Training" - ₹2150.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” के अंतर्गत – ₹559.05 लाख की बचत (₹1178.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कम संख्या में परामर्शदाताओं को भरती करने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2230” – “प्रशिक्षण” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:

(का) “प्रशिक्षु प्रशिक्षण” –

(क) “स्किल इंडिया कार्यक्रम” – ₹53749.51 लाख की बचत (₹152070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों का कार्यान्वयन नहीं होने और कम संख्या में व्यावसायियों को लेने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. वी. ई. टी.)” – ₹776.00 लाख की बचत (₹2024.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और पिछले वर्ष की शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) “ई. ए. पी. – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)” – ₹10145.74 लाख की बचत (₹24987.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में परामर्शदाताओं/व्यावसायियों को लेने और उपलब्धि हासिल नहीं होने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(क) “कौशल इंडिया कार्यक्रम” – ₹13942.90 लाख की बचत (₹34899.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Central Staff Training and Research Institute” - saving of ₹559.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1178.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less training, non-finalisation of proposals and less recruitment of consultants.

(III) Under Major Head “2230” - “Training” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Apprenticeship Training” -

(a) “Skill India Programme” - saving of ₹53749.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹152070.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals, non-implementation of envisaged activities under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and hiring of less professionals.

(b) “National Council for Vocational Education and Training (NCVET)” - saving of ₹776.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2024.00 lakhs) was due to non-materialisation of envisaged activities and availability of unspent balances of previous year.

(c) “EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)” - saving of ₹10145.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24987.00 lakhs) was due to hiring of less consultants/professionals and non-achievement of milestones.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Skill India Programme” - saving of ₹13942.90 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों का कार्यान्वयन नहीं होने और कम संख्या में व्यावसायियों को लेने के कारण हुई।

provision of ₹34899.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals, non-implementation of envisaged activities under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and hiring of less professionals.

(ख) “ई. ए. पी. – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (एस. ए. एन. के. एल. पी.)” – ₹2251.35 लाख की बचत (₹5545.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में परामर्शदाताओं/व्यावसायियों को लेने और उपलब्धि हासिल नहीं होने के कारण हुई।

(b) “EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)” - saving of ₹2251.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5545.00 lakhs) was due to hiring of less consultants/professionals and non-achievement of milestones.

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(C) “Tribal Area Sub-Plan” -

(क) “कौशल इंडिया कार्यक्रम” – ₹7310.48 लाख की बचत (₹18084.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों का कार्यान्वयन नहीं होने और कम संख्या में व्यावसायियों को लेने के कारण हुई।

(a) “Skill India Programme” - saving of ₹7310.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18084.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals, non-implementation of envisaged activities under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and hiring of less professionals.

(ख) “ई. ए. पी. – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)” – ₹1166.65 लाख की बचत (₹2873.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में परामर्शदाताओं/व्यावसायियों को लेने और उपलब्धि हासिल नहीं होने के कारण हुई।

(b) “EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)” - saving of ₹1166.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2873.00 lakhs) was due to hiring of less consultants/professionals and non-achievement of milestones.

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा” –

(A) “Central Assistance/Share” -

(क) “ई. ए. पी. – औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)” – ₹5808.75 लाख की बचत (₹16498.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “EAP-Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)” - saving of ₹5808.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16498.00 lakhs);

- (ख) “औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण” – ₹795.11 लाख की बचत (₹5173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ग) “ई. ए. पी. – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)” – ₹6139.66 लाख की बचत (₹7480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –
- (क) “ई. ए. पी. – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)” – ₹1551.56 लाख की बचत (₹1660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “ई. ए. पी. – औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)” – ₹1411.49 लाख की बचत (₹3984.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (क) “ई ए पी – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)” – ₹803.82 लाख की बचत (₹860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ख) “ई ए पी – औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)” – ₹557.77 लाख की बचत (₹1688.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (b) “Strengthening of Infrastructure for Institutional Training” - saving of ₹795.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5173.00 lakhs);
- (c) “EAP-Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)” - saving of ₹6139.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7480.00 lakhs);
- (B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)” - saving of ₹1551.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1660.00 lakhs);
- (b) “EAP - Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)” - saving of ₹1411.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3984.00 lakhs);
- (C) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (a) “EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)” - saving of ₹803.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹860.00 lakhs); and
- (b) “EAP - Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)” - saving of ₹557.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1688.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कुछ राज्यों के पास एस. एन. ए. शेष राशि उपलब्ध होने के कारण निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above seven heads were due to receipt of less proposals from the States and non-release of funds to some States owing to availability of SNA balances.

(V) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजना – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण” के अंतर्गत – ₹649.42 लाख की बचत (₹725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और संघ राज्य क्षेत्रों के पास एस. एन. ए. की शेष राशि उपलब्ध होने के कारण निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत – ₹309.53 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 69 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹5568.76 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 में मुख्य शीर्ष “2230” – “प्रशिक्षण” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत – ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “प्रशिक्षु प्रशिक्षण – ई. ए. पी. – औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)” – ₹4142.40 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4142.39 लाख हुआ।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – ई. ए. पी. – औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)” – ₹964.97 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹964.96 लाख हुआ।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – ई. ए. पी. – औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)” – ₹461.39 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹461.38 लाख हुआ।

(II). बचतें मुख्य शीर्ष “2230” – “प्रशिक्षण – आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोश (एम. यू. एस. के.) को निधियों का अंतरण” – ₹25713.00 लाख का अधिक व्यय (फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹147620.00 लाख के पूरक अनुदान की तुलना में) हुआ; और

(V) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Strengthening of Infrastructure for Institutional Training” - saving of ₹649.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹725.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from UT’s and non-release of funds to UT’s owing to availability of SNA balances.

(VI) Under one head saving of ₹309.53 lakhs occurred constituting 69 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹5568.76 lakhs) utilised for augmenting the provisions by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2023 under Major Head “2230” - “Training” - under the following heads:-

(A) “Apprenticeship Training - EAP-Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)” - ₹4142.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹4142.39 lakhs.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - EAP-Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)” - ₹964.97 lakhs. Actual excess, however, was ₹964.96 lakhs.

(C) “Tribal Area Sub-Plan - EAP-Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)” - ₹461.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹461.38 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2230” - “Training - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account” - under the following heads:-

(A) “Funds Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK)” - excess of ₹25713.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹147620.00 lakhs obtained in February, 2024); and

(खा) “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोश (एम. यू. एस. के.) को अतिरिक्त राशियों का अंतरण” – ₹60000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय एम. यू. एस. के. के माध्यम से कौशल इंडिया कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹452.69 लाख का अधिक व्यय हुआ जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुए:-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4250”	Major Head “4250”	
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services	
मू.	O.	9524.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-618.15

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹400.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) “निदेशन और प्रशासन – संबद्ध कार्यालय” के अंतर्गत – ₹1359.01 लाख के बचत (₹8436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कोई कार्यकलाप शुरू नहीं किए जाने के कारण हुई।

(B) “Additional Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK)” - excess of ₹60000.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for financing Skill India Program through MUSK.

(III) Under one head excess of ₹452.69 lakhs occurred constituting 16 percent of the total sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
8906.85	8906.76	-0.09

(I) Provision of ₹400.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Direction and Administration - Attached Offices” - saving of ₹1359.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8436.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and no activities being undertaken.

4.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹745.79 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि, दिसम्बर, 2023 में “निदेशन और प्रशासन – सचिवालय” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹745.78 लाख हुआ।

4. The above savings were partly (₹745.79 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2023 under “Direction and Administration - Secretariat”. Actual excess, however, was ₹745.78 lakhs.

---